राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ:3(4)आ.प्र.सहा./स्था/2012/ जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक स्वीकृति

वित्त विभाग की आईडी संख्या 332500107 दिनांक 30.01.2025 के अनुसरण में राज्य के पूर्व गठित 33 जिलों के लिए जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुदृढ़ीकृत किये जाने, विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड़ किये जाने, विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन किये जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग आदि हेतु एजेन्सी के माध्यम से राज्य के 33 जिलों के लिए 33 यूनिट मैन विद् मशीन (प्रत्येक जिले में 01) रखे जाने की संविदा सेवाओं की अवधि दिनांक 01.03.2025 से 28.02.2026 तक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2014 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा–निर्देश एवं आर.टी.टी.पी अधिनियम 2012/ आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगें।
2. भारत सरकार की एसडीआरएफ गाईडलाईन के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से उक्त प्रयोजनार्थ राशि का व्यय किया जा सकेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नही करायी जावेगी।

उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्राभारित होगाः–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
01– सूखा
800– अन्य व्यय
(04)– (कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पोंस)
(04)– [आपदा प्रबंधन योजनाओ का निर्माण]
41– संविदा व्यय

(भगवत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ उपशासन सचिव, अति.मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. सम्बन्धित जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. लेखा शाखा (भुगतान) आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।

Signature valid
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.02.17 17:15:14 IST
Reason: Approved

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 13487173